

नई दिल्ली, 23 मई, 2013

**का.नि.आ. 35.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, कैंटीन संवर्ग (समूह 'ग' तथा समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 1999, जहां तक इनका संबंध कैंटीन परिचर पदों से है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, चिकित्सा परिचर भर्ती नियम, 1999 जहां तक इनका संबंध चिकित्सा परिचर पदों से है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, चिकित्सा परिचर, प्रयोगशाला सेवाएं (समूह 'ग' तथा समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 2000 जहां तक इनका संबंध परिचर प्रयोगशाला सेवा-क, ख एवं ग पदों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (गैर औद्योगिक) पद भर्ती नियमों, 2005 से है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 हैं ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. आरंभिक गठन.**—इन नियमों के आरंभ होने पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में निम्नलिखित पदों के पदधारी परिचर बहु-कौशल प्राप्त-III (ए एम एस-III) के रूप में पुनः अभिहित होंगे :—

- (i) कार्यालय परिचर
- (ii) कॉस्मेटिक परिचर
- (iii) सुरक्षा परिचर
- (iv) उद्यान परिचर
- (v) कैंटीन परिचर
- (vi) चिकित्सा परिचर
- (vii) परिचर प्रयोगशाला सेवा -क, ख एवं ग

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति, आयु-सीमा और अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद हैं	सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ए एम एस-III	3397* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन क्रिया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. +1800 रु ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को आयु में पाँच वर्ष की छूट दी जा सकती है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है ।

**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उपमंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने को कहा गया है ।

सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<b>आवश्यक :</b> किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष

<b>भर्ती की पद्धति :</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10)

(11)

शत प्रतिशत सीधी भर्ती

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना

भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

**विभागीय प्रोन्नति समिति-III**

लागू नहीं होता ।

- |                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (i) संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का प्रमुख                                                                                  | —अध्यक्ष |
| (ii) संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी                                                                     | —सदस्य   |
| (iii) अन्य प्रयोगशाला/स्थापना अथवा मुख्यालय से संबंधित स्थापना/प्रयोगशाला के सदस्यों की पंक्ति समतुल्य अथवा ऊपर का कोई अधिकारी | —सदस्य   |

[ फा. सं. मासविनि/76257/एमएससी/आरआर/सी/पी/01 ]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 2013

**S.R.O. 35.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Canteen Cadre (Group 'C' and Group 'D') posts Recruitment Rules, 1999 in so far as it concerns Canteen Attendant posts, Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Medical Attendant, Recruitment rules, 1999 in so far as it concerns Medical Attendant posts, Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Attendant, Laboratory Services (Group 'C' and Group 'D') Recruitment Rules, 2000 in so far as it concerns the posts of Attendant Laboratory Service-A, B and C posts and Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Non-Industrial) post Recruitment Rules, 2005 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Initial Constitution.**— The incumbents of the following posts in the Defence Research and Development Organization at the commencement of these rules shall be re-designated as Attendant Multi-Skilled-III (AMS-III) :—

- (i) Office Attendant
- (ii) Cosmetic Attendant
- (iii) Security Attendant
- (iv) Garden Attendant
- (v) Canteen Attendant
- (vi) Medical Attendant
- (vii) Attendant Laboratory Service –A, B and C

**3. Number of posts, classification and pay band, grade pay or scales of pay :—**The number of the said posts, their

classification and pay band and grade pay or scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, promotion, age limit and qualifications.**—The Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from to time.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AMS-III	3397* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 + Grade pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years of age relaxable for Govt. servants upto five years in accordance with instructions/orders issued by the Central Government and further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,

(6)

Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)

<b>Essential :</b> 10th Class pass or equivalent from a recognized Board or Industrial Training Institute pass.	Not Applicable	Two years
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------

<b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
100% direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)

<b>Departmental Promotion Committee-III</b>	Not applicable
(i) Head of the concerned Establishment or Laboratory	—Chairman
(ii) Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member
(iii) An officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment	—Member

[F. No. DHRD/76257/Multi Skilled Cadre/RRs/C/P/01]

S. D. BHASOR, Under Secy.